डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

मु0 उ0 दशरथ बनाम विजन वगै0

दावा बाबत् 88,89, 183 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 22/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ...... व हाजरी वादी

मिनजानिब मुद्दई व .... । मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व

डिकरी दी जाती है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नं0 1461/111 रकबा 0.42 हैक्ट व 102 रकबा 0.05 तथा खसरा नंबर 97 रकबा 0.22 हैक्ट0 वाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई पर वादी को खसरा नंबर 1461/111 एवं खसरा नंबर 102 वाके ग्राम रौनीजा पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में दर्ज पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से का एवं खसरा नंबर 97 वाके रौनीजा पर वादी को प्रतिवादीगण के हिस्से में दर्ज 3/11 हिस्से में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बाबत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसूद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करे ।

ब दसख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18/7/25 को जारी की गई ।

मुहर

दसखत (signature) 18/7/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. दशरथ पुत्र विजन जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर

—वा

बनाम

1. विजन पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।
4. मैनेजर बीआरकेजीबी शाखा नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

5. सुनीता पत्नी पप्पी जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— तर0 प्रतिवादीगण

18/7/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ... मुकदमें इन्द्राजई
रजिस्टर 20 ...

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 22/19
जीसीएमएस नं0 2019/00039
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 18.07.2025

1. दशरथ पुत्र विजन जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर

—वादी

बनाम

1. विजन पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।
4. मैनेजर बीआरकेजीबी शाखा नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

5. सुनीता पत्नी पप्पी जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड0(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अन्त.धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। दावा के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. यह कि आराजी खसरा नंबर 1461/111 रकबा 0.42 हैक्ट व 102 रकबा 0.05 तथा खसरा नंबर 97 रकबा 0.22 हैक्ट0 वाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई स्थित है।
2. यह कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 1461/111 व 102 वाके ग्राम रौनीजा वादी एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] की पुश्तैनी [illegible] है। तथा विवादित आराजी खसरा नंबर 97 का 3/11 [illegible] संख्या 1 की पुश्तैनी आराजी है। सजरा वादपत्र में अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:47 IST
Reason: SelfAttested

18/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3. यह कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी आराजी है परन्तु हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात के आधार पर वह उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहनबय मुन्तकिल करने एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को बदल देने के प्रयास में है।

4. यह कि आराजी खसरा नंबर 1461/111 व 102 वाके ग्राम रौनीजा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को वाहिस्सा बराबर तथा विवादित आराजी खसरा नंबर 97 के 3/11 हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए एवं उक्त विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के वाहिद इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने का वादी अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जावे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। तामील बाबजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय में हाजिर नहीं हुए अतः एकतरफा कार्यवाही प्रति0 संख्या 1 के विरूद्ध की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी पेश करनें हेतु नियत की गई। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादी अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम रौनीजा प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल 2001 से 2021 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2022 वाके रौनीजा प्रदर्श 5 पेश किए। मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 102 एवं 97 वाके ग्राम रौनीजा जो कि प्रदर्श 2 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 51 व 53 से निर्मित है। खसरा नंबर 1461/111 वाके रौनीजा जो कि प्रदर्श 2 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 78 से निर्मित है। उक्त खसरा नंबर 51, 53, 78 जमाबंदी संवत 2022 वाके ग्राम रौनीजा प्रदर्श 5 में [illegible] बाबा हीरालाल वल्द जोतमल व बाबा के भाई मेवा वल्द [illegible] जाति जाट के [illegible] दर्ज रिकॉर्ड रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:47 IST
Reason: SelfAttested

18/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त साबिक रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक आराजी है जिस पर वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित होता है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नं0 1461/111 रकबा 0.42 हैक्ट व 102 रकबा 0.05 तथा खसरा नंबर 97 रकबा 0.22 हैक्ट0 वाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई पर वादी को खसरा नंबर 1461/111 एवं खसरा नंबर 102 वाके ग्राम रौनीजा पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में दर्ज पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से का एवं खसरा नंबर 97 वाके रौनीजा पर वादी को प्रतिवादीगण के हिस्से में दर्ज 3/11 हिस्से में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात कलमज़न किए जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 18.7.25 को खुले ईजलास में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

18/7/25

(गंगाधर मीणा आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी, नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner